



गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009 के तहत स्थापित)
CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT
(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

फ. सं. 71-2/2023-रा.प्र./ 41

25/09/2023

परिपत्र संख्या - 12/रा.प्र.-2023-24

विषय: आधुनिक कम्प्यूटिंग उपकरणों का राजभाषा कार्यान्वयन में अनुप्रयोग विषय पर कार्यशाला।
संदर्भ: सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20/09/2023 को अनुमोदित।

राजभाषा प्रकोष्ठ हिंदी के प्रचार-प्रसार और कार्यालय में इसके अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रयासरत है। इसी संदर्भ में, प्रकोष्ठ एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है जिसमें कर्मिकों को आधुनिक कम्प्यूटिंग उपकरणों का राजभाषा कार्यान्वयन में अनुप्रयोग की जानकारी दी जाएगी। इस कार्यशाला में सहायक कुलसचिव स्तर तक के कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

सभी संबंधित कर्मचारियों (संविदा कर्मचारियों सहित) से अनुरोध है कि 27 सितंबर 2023 (बुधवार) को अपराह्न 03:00 बजे सीओई संगोष्ठी हॉल (CoE conference hall) सेक्टर-29 में उपस्थित होकर कार्यशाला को सफल बनाएँ।


यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

डॉ. शा. पटिल
25/09/23

कुलसचिव (कार्यवाहक)

प्रति (ई-मेल द्वारा):

1. सभी अधिष्ठाता
2. छात्र कल्याण अधिष्ठाता
3. प्रोवोस्ट
4. प्रॉक्टर
5. वित्त अधिकारी (कार्यवाहक)
6. परीक्षा नियंत्रक (कार्यवाहक)
7. सभी उप कुलसचिव एवं सहायक कुलसचिव
8. आंतरिक कार्य विभाग
9. सभी अध्यक्ष/समन्वयक/विभागाध्यक्ष -
10. सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारी
11. आईसीटी विभाग- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. आचार्य प्रभारी पुस्तकालय
13. सभी संरक्षक (वार्डन)
14. कुलपति सचिवालय- माननीय कुलपति के सूचनार्थी
15. सभी सूचना पट्ट, सेक्टर- 29 एवं 30
16. अधिसूचना फाइल



सेक्टर-29, गांधीनगर-382030, फोन नं - 07923977407, फेक्स-07923260076

Sector-29, Gandhinagar, Phone No. 07923977407, Fax-07923260076

Email: registrar@cug.ac.in, website: www.cug.ac.in

